

भारत सरकार Government of India रेल मंत्रालय Ministry of Railways (रेलवे बोर्ड) Railway Board

Office Order No. 27 of 2024

Sub.: Allocation of work to the Ministers of State in the Ministry of Railways.

The Minister of Railways has allocated the following work to Ministers of State for Railways - Shri V. Somanna-MOSR(S) and Shri Ravneet Singh-MOSR(R):

I. Matters to be disposed of at the level of MOSR(S):

a) VIP references addressed to MOSR(S).

b) DAR cases of Group B, C & erstwhile Group 'D' Categories of staff where the President is the Disciplinary/Appellate/Reviewing authority.

c) Monitoring of Railway development works in the following States/UTs:

Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Puducherry, Tamil Nadu and Telangana.

d) All Parliamentary matters in the absence of MOSR(R).

II. Matters to be disposed of at the level of MOSR(R):

a) VIP references addressed to MOSR(R)

b) Matters relating to Official Language.

c) Monitoring of Railway development works in the following States/UTs:-Chandigarh, Delhi, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Ladakh, Punjab.

d) Staff Welfare and Labour Legislations.

e) Matter relating to Public Grievances & Staff Grievances (other than DAR).

- f) All Parliamentary matters related to Assurances, laying of reports/Regulations/Rules, Authentication of Papers, Replies to Hon'ble MPs under Rule 377 etc.
- 2. Replies to Starred & Unstarred Parliament Questions and Calling Attention Motion to be put up to the Minister of Railways through MOSR(R).
- 3. All other cases requiring approval of MR and important/urgent matters to be put up directly to Minister of Railways.

- It may be ensured that all files are submitted/routed to the Ministers strictly in accordance with this allocation of work.
- This issues with the approval of the Minister of Railways. 5.

No.2024/O&M/8/2 Dated: 22.06.2024

Vouna Nayar (Aruna Nayar) Secretary/Railway Board

All Officers and Branches in Board's Office, COFMOW Building and at Dayabasti.

Copy to:

- 1. Principal Secretary to the Prime Minister.
- 2. Cabinet Secretary
- 3. CRB & CEO, MF, MI, MO&BD, MTRS, DG/HR, DG/Safety, DG/RPF & DG/RHS.
- 4. EDPG/MR, OSD/MR, OSD/Co-ord/MR, JDPG/MOSR(S), Sectt. of MOSR(R).
- 5. CMDs/MDs of all Railway PSUs, MD/CRIS, VC/RLDA, MD/NHSRCL.

Copy for information to:

The General Managers, All Indian Railways & Production Units etc. DG/RDSO, DG/NAIR & Heads of All Training Institutes.

भारत सरकार/ GOVERNMENT OF INDIA रेल मंत्रालय/ MINISTRY OF RAILWAYS (रेलवे बोर्ड/ RAILWAY BOARD)

2024 का कार्यालय आदेश सं. 27

विषय: रेल मंत्रालय में राज्य मंत्रियों को कार्य आवंटन।

रेल मंत्री जी द्वारा रेल राज्य मंत्री श्री वी. सोमन्ना- रेल राज्य मंत्री (एस) और श्री रवनीत सिंह- रेल राज्य मंत्री (आर) को निम्नलिखित कार्य आबंटित किए गए हैं:

।. रेल राज्य मंत्री (एस) के स्तर पर निपटाए जाने वाले मामले:

- क) रेल राज्य मंत्री (एस) को संबोधित वीआईपी संदर्भ।
- ख) ग्रुप बी, सी और पूर्ववर्ती ग्रुप डी कोटि के कर्मचारियों के अनुशासन एवं अपील नियमों संबंधी मामले, जिनमें माननीय राष्ट्रपति अनुशासनिक/अपीलीय/समीक्षा प्राधिकारी हों.
- ग) निम्नलिखित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में रेलवे के विकास संबंधी निर्माण कार्यों की निगरानी:-
 - आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, पुड्चेरी, तमिलनाडु और तेलंगाना।
- घ) रेल राज्य मंत्री (आर) की अन्पस्थिति में सभी संसदीय कार्य।

रेल राज्य मंत्री (आर) के स्तर पर निपटाए जाने वाले मामले:

- क) रेल राज्य मंत्री (आर) को संबोधित वीआईपी संदर्भ।
- ख) राजभाषा से संबंधित मामले।
- ग) निम्नितिखित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में रेलवे के विकास संबंधी निर्माण कार्यों की निगरानी:-
 - चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, पंजाब।
- घ) कर्मचारी कल्याण और श्रम कानून।
- ड.) जन शिकायतों और कर्मचारी शिकायतों (अनुशासन एवं अपील नियमों से इतर) से संबंधित मामले।
- (च) आश्वासनों से संबंधित सभी संसदीय मामले, रिपोर्ट/विनियम/नियम प्रस्तुत करना, कागजातों का प्रमाणीकरण, नियम 377 आदि के अंतर्गत माननीय संसद सदस्यों को उत्तर देना।
- 2. तारांकित और अतारांकित संसदीय प्रश्नों के उत्तर और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रेल राज्य मंत्री (आर) के माध्यम से रेल मंत्री को प्रस्तुत किया जाए।
- 3. अन्य सभी मामलें जिनके लिए रेल मंत्री के अनुमोदन की आवश्यकता हो और महत्वपूर्ण/अत्यावश्यक मामले सीधे रेल मंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

- 4. यह सुनिश्चित किया जाए कि मंत्रियों को सभी फाइलें कार्य के इस आबंटन के अनुसार ही प्रस्तुत की जाएँ भेजी जाएँ।
- 5. इसे रेल मंत्री के अनुमोदन से जारी कियाजा रहा है।

सं. 2024/ओएंडएम/8/2

दिनांक: 22.06.2024

अरुणा नायर) सचिव/ रेलवे बोर्ड

बोर्ड कार्यालय, कॉफमो बिल्डिंग, और दयाबस्ती के सभी अधिकारी एवं शाखाएं।

प्रतिलिपि प्रेषित -:

- 1. प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव।
- 2. मंत्रिमंडल सचिव
- 3. अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रेलवे बोर्ड, सदस्य वित्त, सदस्य अवसंरचना, सदस्य परिचालन एवं व्यवसाय विकास, सदस्य कर्षण एवं चल स्टॉक, महानिदेशक/मानव संसाधन, महानिदेशक/संरक्षा, महानिदेशक/रेल सुरक्षा बल और महानिदेशक/रेल स्वास्थ्य सेवा।
- 4. कार्यपालक निदेशक जन शिकायत/रेल मंत्री, विशेष कार्य अधिकारी/रेल मंत्री, विशेष कार्य अधिकारी/समन्वय/रेल मंत्री, संयुक्त निदेशक जन शिकायत/रेल राज्य मंत्री (एस), रेल राज्य मंत्री (आर) सचिवालय
- 5. सभी रेलों उत्पादन इकाइयों के मुख्य प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक, प्रबंध निदेशक/क्रिस, क्लपति/रेल भूमि विकास प्राधिकरण, प्रबंध निदेशक/एनएचएसआरसीएल।

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

महाप्रबंधक,सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां आदि महानिदेशक/अ.अ.मा.सं., महानिदेशक/भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी एवं सभी प्रशिक्षण संस्थानों के प्रमुख।